

कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र०।

परिपत्रांक सी- 23/अधि०-९/स्टा०पै०/ भर्ती/दिनांक :लखनऊ जुलाई, ०९ 2015

सम्बन्धित सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
जिला सहकारी बैंक लि. उ०प्र०।

विषय- उ०प्र० के 06 जिला सहकारी बैंकों में वर्ग-1, 2 एवं 3 में सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बंध में।

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्रांक 808/49-1-14-59(मिस)/ 14टीसी सहकारिता अनुभाग-1 दिनांक 1.7.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जो आपको भी पृष्ठांकित है।

शासन के उक्त संदर्भित पत्र के द्वारा उ०प्र० के निम्नलिखित विवरण के अनुसार 06 जिला सहकारी बैंकों में वर्ग 1, 2 व 3 के 106 रिक्त पदों पर भर्ती करने हेतु कार्गिक विभाग के शासनादेश सं. 20/1/91-का-2-2012 दिनांक 15 मार्च 2012, जिसमें भर्तियों पर रोक लगायी गयी है, से शिथिलता प्रदान कर दी गयी है:-

क्र०स०	नाम जि०सह०बैं०	वर्ग-1	वर्ग-2	वर्ग-3
1	बाराबंकी	1	12	31
2	लखनऊ	1	9	13
3	उन्नाव	0	8	24
4	मऊ	1	7	9
5	बदायूँ	2	8	16
6	मथुरा	3	2	13
	योग	8	46	106

प्रश्नगत पदों पर भर्ती के सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित बैंक की आर्थिक स्थिति/संसाधनों के दृष्टिगत न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर उ०प्र० सहकारी समिति अधिनियम 1965 /उ०प्र० सहकारी समिति नियमावली 1968 में दी गयी व्यवस्था/प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये सुनिश्चित की जाय तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त व्ययभार न आये। राज्य सरकार द्वारा इस सम्बंध में कोई अनुदान/वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जिला सहकारी बैंकों के नाम के सम्मुख अंकित वर्ग-1 से 3 के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती के सम्बंध में शासनादेश में उल्लिखित निर्देशों एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अग्रोतर कार्यवाही कराने का कष्ट करे।

5

(शैलेश कृष्ण)

आयुक्त एवं निबन्धक

सहकारिता, उ०प्र०,

लखनऊ 8

परिपत्रांक सी- 23/अधि०-९/स्टा०पै०/ भर्ती/दिनांक :लखनऊ उक्त।
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता उ०प्र०।
2. सम्बन्धित मण्डलीय उप आयुक्त एवं उप निबन्धक/ संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र०।
3. सचिव, उ०प्र० सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल लखनऊ।
4. समस्त अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, सहकारिता, मुख्यालय, लखनऊ।
5. प्रबंध निदेशक, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०, लखनऊ।
6. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, लखनऊ के वैयक्तिक सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रमुख सचिव, सहकारिता, उ०प्र० शासन लखनऊ को अवलोकनार्थ सेवा में प्रेषित।

5

आयुक्त एवं निबन्धक

सहकारिता, उ०प्र०,